27-05-2022

यासीन मलिक को आजीवन कारावास

समाचार पत्रों में क्यों?

विशेष अदालत ने 25 मई को कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

त्वरित मुद्दा?

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत ने उन्हें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 17 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 121 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और Rs. 10 लाख का जुर्माना भी लगाया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- एनआईए का गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था।
- गृह मंत्रालय (एमएचए) समय-समय पर एनआईए की जनशक्ति, वित्तीय और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं की समीक्षा करता है।
- यह अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी है:~
- भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करना
  - राज्य की सुरक्षा
  - विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।
  - परमाणु और परमाणु सुविधाओं के खिलाफ।
  - उच्च गुणवत्ता वाली नकली भारतीय मुद्रा में तस्करी।

अन्य प्रमुख तथ्य?

2019 के संशोधनों के अनुसार

- अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक को संपत्ति की ज़ब्ती या कुर्की की मंजूरी देने का अधिकार देता है जब उक्त एजेंसी द्वारा मामले की जांच की जाती है।
- अधिनियम राज्य में डीएसपी या एसीपी या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा किए गए मामलों के अलावा, इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के एनआईए के अधिकारियों को आतंकवाद के मामलों की जांच करने का अधिकार देता है।
- इसमें एक व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने का प्रावधान भी शामिल था।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 121:

- जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा, या ऐसा युद्ध छेड़ने का प्रयास करेगा, या ऐसा युद्ध छेड़ने के लिए उकसाएगा, उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

- यह संयुक्त राष्ट्र, इसकी एजेंसियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों और प्रस्तावों को लागू करता है।
- इसका उद्देश्य भारत में आतंकवाद का मुकाबला करना है।
- यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है।
- शाखाएँ: हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू।
- एनआईए अधिनियम, 2008 की धारा VI के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा मामलों को एनआईए को सौंपा गया है।

- मामलों की जांच एजेंसी द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाती है, फिर मामलों को एनआईए विशेष न्यायालय के समक्ष रखा जाता है।
- गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) और कुछ अन्य अनुसूचित अपराधों के तहत आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए , एजेंसी केंद्र सरकार की मंजूरी चाहती है। यूएपीए की धारा 45 (2) के तहत गठित 'प्राधिकरण' की रिपोर्ट के आधार पर यूएपीए के तहत मंजूरी दी जाती है।
- एनआईए अधिनियम में संशोधन ने उच्च गुणवत्ता वाली नकली भारतीय मुद्रा में तस्करी से संबंधित अपराधों को आतंकवादी अधिनियम की परिभाषा के तहत लाया है।
- आतंकवादी वित्तपोषण के विभिन्न पहलुओं पर अंकुश लगाने के लिए , एनआईए में एक टेरर फंडिंग और नकली मुद्रा प्रकोष्ठ (टीएफएफसी) बनाया गया है।
- अनुसूचित अपराधों के परीक्षण के लिए केंद्र सरकार, एनआईए अधिनियम 2008 की धारा 11 और 22 के तहत एक या अधिक विशेष न्यायालयों का गठन करती है।
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीश द्वारा विशेष न्यायालय की अध्यक्षता की जाएगी।
- गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए):~1967 में पारित , कानून का उद्देश्य भारत में गैरकानूनी गतिविधियों के संघों की प्रभावी रोकथाम करना है।
- अधिनियम केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है, जिसके माध्यम से यदि केंद्र किसी गतिविधि को गैरकानूनी मानता है तो वह आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से इसे घोषित कर सकता है।
- इसमें मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा सबसे ज्यादा है।
- यूएपीए के तहत भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर शुल्क लगाया जा सकता है।
- यह अपराधियों पर उसी तरह लागू होगा, भले ही अपराध भारत के बाहर किसी विदेशी भूमि पर किया गया हो।
- यूएपीए के तहत, जांच एजेंसी गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर सकती है और अदालत को सूचित करने के बाद अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा मे पूछे जाने वाला संभावित प्रश्न

Que. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वित्त मंत्रालय एनआईए की जनशक्ति, वित्तीय और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं की समीक्षा करता है।
2. विशेष एनआईए अदालत की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

Ans. (c) दोनों 1 और 2

परम पोरुल सुपरकंप्यूटर

समाचार पत्रों में क्यों?

परम पोरुल नामक एक अत्याधुनिक सुपरकंप्यूटर का उद्घाटन 25 तारीख को NIT तिरुचिरापल्ली में किया गया। यह सुपरकंप्यूटिंग सुविधा राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (National Supercomputing Mission – NSM) के चरण 2 के तहत स्थापित की गई है।

त्वरित मुद्दा?

- इस सुपरकंप्यूटर को बनाने के लिए जिन घटकों का उपयोग किया गया है, उनमें से अधिकांश भारत में इकट्ठे और निर्मित किए गए हैं।
- इसमें सॉफ्टवेयर स्टैक शामिल है जिसे सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप Centre for Development in Advanced Computing (C-DAC) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।
- NIT तिरुचिरापल्ली कृषि, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवाओं और मौसम जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कर रहा है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- यह सिस्टम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग तकनीक पर आधारित है ताकि यह उच्च शक्ति उपयोग प्रभावशीलता प्राप्त कर सके। यह परिचालन लागत को कम करने में मदद करता है।
- इस सिस्टम को निम्नलिखित के मिश्रण से सुसज्जित किया गया है:
  - GPU नोड्स
  - CPU नोड्स
  - हाई थ्रूपुट स्टोरेज
  - हाई मेमोरी नोड्स
- इन सभी को विभिन्न इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों की कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए इस प्रणाली में सुसज्जित किया गया है।

अन्य प्रमुख तथ्य?

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के तहत हालिया घटनाक्रम:

- चरण 1 और चरण 2 के तहत, IIT's, C-DAC, NIT, JNCASR और IISER में 22 पेटाफ्लॉप्स (PF) की कंप्यूटर शक्ति के साथ 15 सिस्टम बनाए गए हैं।
- NSM ने चरण 2 के एक भाग के रूप में 1.66 पेटाफ्लॉप्स की सुपरकंप्यूटिंग क्षमता के साथ मार्च 2022 में आईआईटी रुड़की में "परम गंगा" स्थापित किया।
- परम सिद्धि-एआई 5.26 पेटाफ्लॉप्स की क्षमता के साथ राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के तहत निर्मित भारत का सबसे तेज़ सुपरकंप्यूटर है।
- जापान का फुगाकू दुनिया का सबसे तेज़ सुपरकंप्यूटर है।

- यह सुविधा NSM के तहत स्थापित की गई है और विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान को मजबूत करेगी। यह सुपर कम्प्यूटेशनल सुविधा इंजीनियरिंग और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक समस्याओं को हल करने के लिए शोधकर्ताओं की सहायता भी करेगी।
- यह सुविधा भारतीय उद्योगों और शिक्षा जगत में किए जाने वाले अनुसंधान और विकास पहलों को भी बढ़ावा देगी।
- इस प्रणाली पर, विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों से कई अनुप्रयोग स्थापित किए गए हैं जैसे:
  - बायोइनफॉरमैटिक्स
  - मौसम और जलवायु
  - आणविक गतिशीलता

- कम्प्यूटेशनल रसायन विज्ञान
- कम्प्यूटेशनल तरल सक्रिय
- सामग्री विज्ञान

- NSM को वर्ष 2015 में सात वर्षों में 4500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से लॉन्च किया गया था।
- NSM का उद्देश्य एक विशाल सुपरकंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित करके देश के अनुसंधान एवं विकास और शैक्षणिक संस्थानों को सशक्त बनाना है जिसमें 70 से अधिक उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधाएं शामिल होंगी।
- आज तक, NSM के तहत, पूरे देश में कंप्यूटिंग क्षमता के 24 पेटाफ्लॉप के साथ 15 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं। वे सभी स्वदेशी रूप से विकसित हैं और स्वदेशी रूप से विकसित सॉफ्टवेयर स्टैक के साथ काम कर रहे हैं।
- इस मिशन का उद्देश्य High-Performance Computing (HPC) जागरूक मानव संसाधन विकसित करना है ताकि इन अनुप्रयोगों को विकसित करने की चुनौतियों का सामना किया जा सके।

प्रारंभिक परीक्षा मे पूछे जाने वाला संभावित प्रश्न

Que. पहला सुपर कंप्यूटर क्रे.-1 किस देश की रिसर्च कंपनी ने बनाया था?

(a) जापान (b) चीन

(c) ऑस्ट्रेलिया (d) अमेरिका

Ans. (d) अमेरिका